विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम का नियंत्रण

रैगिंग एक अपराध है तथा रैगिंग के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए हम सब को मिलकर कार्य करना चाहिए।

रैगिंग विरोधी उपायों के विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, छात्रों, शिक्षकों एवं जन सामान्य के लिए निम्न गतिविधियों से जुड़ी प्रतियोगिताओं के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित करता है।

i रैगिंग एवं इसके दुष्परिणामों पर पोस्टर

ii रैगिंग विरोधी लोगो/प्रतीक चिन्ह/स्लोगन

iii छात्रों तथा समाज पर रैगिंग के दुष्परिणामों पर निबन्ध प्रतियोगिता

विस्तृत विवरण www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है। प्रविष्टियाँ antiraggingugc@gmail.com पर अथवा सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली– 110 002 को दिनांक 26 फरवरी, 2016 तक भेजें।

सचिव

रैगिंग के जोखिम को नियन्त्रित करने के लिए पोस्टर, लोगो/प्रतीक चिन्ह, उदघोषणा एवं निबन्ध लेखन की प्रतियोगिता

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 887/2009 में दिनांक 8.5.2009 के निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंगिंग निषेध से संबंधित अधिनियम, 2009" सूत्रबद्ध किये थे जिन्हें भारत के राजपत्र में दिनांक 17 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया तथा जिसका अधिदेशात्मक रूप से समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। ये अधिनियम यूजीसी वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।

रैंगिंग विरोधी उपायों के सुविस्तृत प्रचार–प्रसार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, छात्रों, शिक्षकों एवं जन साधारण के लिए निम्न गतिविधियों में प्रतियोगिताओं की घोषणा करता है–

I रैगिंग एवं इसके परिणामों पर पोस्टर रुपांकन।

24"X18" के एक पोस्टर को रुपांकित करने के लिए प्रविष्टियॉ आमंत्रित की जा रही है जिनके अन्तर्गत उन संवेदनशील मामलों को अभिव्यक्त किया जाना चाहिए जो रैगिंग से संबद्ध है तथा इसके साथ ही छात्रों को रैंगिंग संबंधी दुष्परिणामों एवं उससे सम्बद्ध दण्डों के विषय में बताते हुए उसके साथ ही रैगिंग विरोधी हैल्पलाइन संख्या (1800 180 5522), रैंगिंग विरोधी ईमेल (helpline@antiragging.in) एवं रैंगिंग विरोधी वेबसाइट (www.antiragging.in) को भी दर्शाया जाना चाहिए। ऐसे समस्त पोस्टरों को तीन बिन्दुओं पर संकेन्द्रित किया जा सकता है, नामतः जिन छात्रों की रैंगिंग की गई, जिन छात्रों द्वारा रैंगिंग की गई तथा अभिभावकों, शिक्षकों एवं समाज का इस समस्या के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए।

तीन सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जायेगा।

II लोगो/प्रतीक चिन्ह, उदघोषणा का रैंगिंग विरोधी रूप में रूपांकन।

रैंगिंग विरोधी लोगो/प्रतीक चिन्ह रूपांकन करने के लिए प्रविष्टियॉ आमंत्रित की जाती हैं। उद्घोषणा एक पंक्ति में 3–6 शब्दों में होनी चाहिए जिससे छात्र रैगिंग न करने के लिए प्रोत्साहित हों तथा वह स्वतः स्पष्ट एवं आकर्षक वाक्यांशों में होनी चाहिए जिसमें स्पष्ट सन्देश व्यक्त हो कि रैंगिंग अवांछनीय है तथा इसे रोका जाना चाहिए।

सर्वश्रेष्ठ तीन प्रविष्टियों को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जायेगा।

III छात्रों एवं समस्त समाज पर रैगिंग एवं उसके प्रभावों के संबंध में निबन्ध प्रतियोगिता।

निबन्ध प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियॉ आमंत्रित की जा रही हैं। यह निबन्ध 500 शब्दों से अधिक में नही होना चाहिए तथा इसका शीर्षक है ''उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग मुक्त वातावरण निर्माण करना –समस्त हितधारकों की भूमिका''।

तीन सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जायेगा।

सर्वश्रेष्ठ पोस्टर, लोगो/प्रतीक एवं निबन्ध का चयन, अध्यक्ष यूजीसी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा।

यूजीसी का निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विषय में किसी प्रकार का प्रतिवेदन विचाराधीन नही रखा जाएगा। पोस्टर, लोगो, प्रतीक, स्लोगन एवं निबन्धों के बौद्धिक सम्पदा अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास सुरक्षित रहेंगे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस समस्त सामग्री का उपयोग अपनी इच्छानुसार करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

इस प्रतियोगिता में समस्त छात्र, शिक्षक एवं जन सामान्य भाग लेने के लिए स्वतन्त्र हैं। तथापि यूजीसी एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टाफ सदस्य इस प्रतियोगिता में भागीदारी के पात्र नहीं हैं।